RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २०] गुरुवार, जून १८, २०२६/ज्येष्ठ २८, शके १९४८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उद्योग, ऊर्जा, श्रम तथा खनन विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १६ जून २०२६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VII OF 2026.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ सन् २०२६ ।

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ सन् १९६२ का महा. ३ । में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ कहलाए ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

सन् १९६२ का महा. ३ की धारा २२ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ की, धारा २२ की, उप-धारा (२) में, सन् १९६२ का महा. ३ " पचहत्तर करोड़ रुपए " शब्दों के स्थान में, " छह हजार करोड़ रुपए " शब्द रखे जायेंगे।

वक्तव्य

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ३) यह महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों के औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक संपदाओं में सुव्यवस्थित संस्थापना को सुनिश्चित करने, और इनके संगठन में सामान्य रूप से सहायता करने, तथा उस प्रयोजन के लिए एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने और उपर्युक्त मामलों से संबंधित प्रयोजनों के लिए, अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम की धारा २२ यह उपबंध करती है कि, निगम अपने लिए पर्याप्त स्रोतों का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए खुले बाजार से या किसी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों से धन ऋण पर ले सकेगा। उक्त धारा २२ की उप-धारा (२) यह उपबंध करती है कि, निगम किसी भी समय पर, ऋण पर ऐसी अधिकतम रकम ले सकेगा, वह पचहत्तर करोड़ रुपए होगी। उक्त ऋण की अधिकतम रक़म वर्ष १९७५ से अर्थात् पचास वर्ष से अधिक समय से इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है।

३. निगम ने राज्य में औद्योगिक विकास करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष आर्थिक झोन और आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास हाथ में लिया है। राज्य में बढ़ते औद्योगिक निवेश के लिए निगम द्वारा नई औद्योगिक परियोजनाएँ और मूलभूत सुविधाएँ विकसित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता है। ऐसे औद्योगिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करना भी आवश्यक होता है और उसके फलस्वरूप भूमिस्वामियों की भूमि का अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का ३०) के उपबंधों के अनुसार उचित क्षतिपूर्ति की अदायगी करना भी आवश्यक है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम की धारा २२ की, उप-धारा (२) में संशोधन द्वारा निगम ऋण ले सके ऐसी राशि की अधिकतम सीमा पचहत्तर करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह हजार करोड़ रुपए करना इष्टकर समझा गया है।

४. चूंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः, यह अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

मुंबई,
दिनांकित १६ जून २०२६।

जिष्णु देव वर्मा,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डॉ. पी. अन्बलगन,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

श्री. अरुण कमलाबाई वाळू गिते,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.